

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल-stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट-www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F.59 STP/DLB/Gen. VIII(58)/22/455

दिनांक :- 23/2/2022

आदेश

स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 एवं स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)-2.0 की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक (वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से) दिनांक 23.02.2022 में लिए गये निर्णय के क्रम में स्वच्छतम पोर्टल पर नगर पालिका सीमा एवं वार्ड सीमा अंकन का कार्य संबंधित नगरीय निकाय में पदस्थापित वरिष्ठ प्रारूपकार/नगर नियोजन सहायक/सहायक नगर नियोजक द्वारा किया जावेगा। विभागीय आदेश दिनांक 08.10.2021 में जिन नगरीय निकायों में उक्त पद स्वीकृत नहीं है, हेतु अतिरिक्त कार्यभार तथा संबंधित रिपोर्टिंग ऑफिसर का अंकन किया गया है। स्थानीय निकायों में पदस्थापित सहायक नगर नियोजक जिनको रिपोर्टिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, संबंधित स्थानीय निकायों का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे। अतः उपरोक्त आदेश के क्रम में संबंधित नगर नियोजन अधिकारियों द्वारा उक्त कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी स्थानीय निकाय में नगर नियोजक संबंधी पद रिक्त है तो संबंधित उप निदेशक (क्षेत्रीय) द्वारा किसी नगर नियोजन अधिकारी को स्वयं के स्तर से आदेशित किया जा सकेगा।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : F.59 STP/DLB/Gen. VII(58)/22/456 -- 476

दिनांक :- 23/2/2022

प्रतिलिपित निम्न को सूचनाथ :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
5. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
6. आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका समस्त (.....)।
7. समस्त उप नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक, नगर नियोजन सहायक, वरिष्ठ प्रारूपकार, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त (.....)।
8. System Analyst cum Joint Director. DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है, कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

(राजेश कुमार तुलारा)
अति. मुख्य नगर नियोजक